रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 1982/अग्रहायण 9, 1904
No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 30, 1982/AGRAHAYAN 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

सा० का० नि० 727(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 13 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नए मंगलौर पत्तन के न्यासी बोर्ड में कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए वाणिज्य प्रबंधक, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के बदले निदेशक (उत्पादन और परियोजना), कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड को न्यासी नियुक्त करती है तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना

संख्या सा० का० नि० 248(अ) दिनांक 31 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 में "वाणिज्य प्रबंधक, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड" के स्थान पर "निदेशक, (उत्पादन और परियोजना), कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड" रहेंगे ।

[फाईल संख्या पी० डब्ल्यू/पी० टी० बी०-35/82]

एस० पी० अम्बोज, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1982

G.S.R. 727(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 13, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Director (Production and Projects), Kudremukh Iron Ore Company Limited, as a trustee to represent the Kudremukh Iron Ore Company Limited vice Commercial Manager, Kudremukh Iron Ore Company Limited, on the Board of Trustees of the Port of New Mangalore and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 1981, namely :—

In the said notification, against Serial Numer 9, for the entry "Commercial Manager, Kudremukh Iron Ore Company Limited", the entry "Director (Production and Projects), Kudremukh Iron Ore Company Limited", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-35/82]

S. P. AMBROSE, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982